

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व त अहकाम ज हुकम की त में जारी
---------------	---------------------------------	---

3-6-15

पत्रावली आज लोक अदालत शिविर खेडावाढरामगढ पर पेश हुई। वादीया हुकान्नेसा व प्रतिवादी गिरजि उपस्थित है। न्यायक तहसीलदार तलावडा ने विभाजन स्कीम प्रस्तुत की। पशकारों ने राजीनामा इस आशय का पेश किया कि भूमि खण्ड नं० $\frac{343}{2}$ रकबा 0.30, $\frac{342}{3}$ रकबा 0.13 हैं कुल 0.43 हैं वादीया के खाते में रहेगी। इसी प्रकार खण्ड नं० $\frac{343}{1}$ रकबा 0.30 हैं, $\frac{342}{4}$ रकबा 0.03, $\frac{342}{2}$ रकबा 0.10 हैं कुल रकबा 0.43 हैं प्रति गिरजि के खाते में रहेगी तथा भूमि खण्ड नं० $\frac{342}{1}$ रकबा 0.02 हैं ग्राम जैतपुर वादी व प्रतिवादी के संयुक्त रूप से खातेदारी में रहेगी। इसी अनुसार दावा डिक्री कर दिया जावे।

अतः प्रस्तुत ^{अनुसूची} राजीनामे के अनुसार पशकारों के मध्य भूमि का विभाजन किया जाता है। राजीनामे अनुसार पचा डिक्री जारी किया जावे। पातकना हेतु तहसीलदार गंगापूर को लिखा जावे। पत्र के साथ विभाजन स्कीम की व नक्शा ड्रेस की प्रति भी भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर. से कम हो एवं बाद तकमील कारखिल दफतर हो।

(सतीश कुमार शर्मा, अ.व.)
सदस्य
लोक अदालत
गंगापूर सिटी

(मुनि देव यादव)
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगापूर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापूर सिटी

मि० हु० निरसा
गिरजि

न्यायात
पीठासी
हुरनिर
1. गिर
2. लेंड
मुकद
उपसि
समक्ष
कि
भूमि
जैत
10
रकब
अनु
कार
नक
गई

नम्बर व त
अहकाम ज
हुक्म की र
में जारी

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) खेडाबाढ रामगढ
पीठासीन अधिकारी:- मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

हुरन्निसा पत्नी सिद्दीक, मुसलमान निवासी जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी —वादिया
बनाम

1. गिर्राज पुत्र फूल्या, जोगी निवासी जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी
 2. लैंड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी
- दावा विभाजन, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. - 177/2013

वादी की ओर से वादिया हुरन्निसा की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी गिर्राज की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 03.06.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादिया की खातेदारी में भूमि ख0न0 343/2 रकबा 30 एयर ख0न0 342/3 रकबा 13 एयर कुल 43 एयर भूमि ग्राम जैतपुर रहेगी। भूमि ख0न0 343/1 रकबा 30 एयर, 342/1 रकबा 3 एयर, 342/4 रकबा 10 एयर कुल रकबा 43 एयर प्रतिवादी गिर्राज की खातेदारी मे रहेगी। भूमि ख0 न0 342/2 रकबा 2 एयर ग्राम जैतपुर वादिया व प्रतिवादी न0 1 की संयुक्त खातेदारी मे रहेगी। इसी अनुसार पक्षकारो के मध्य भूमि का विभाजन किया जाता है। दोनो के पृथक पृथक खाते कायम किये जाकर पृथक पृथक लगान निर्धारित किया जावे। विभाजन स्कीम मय नजरी नक्शा निर्णय का हिस्सा रहेगी।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 03.06.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

क्र.सं.	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1	वादपत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प	
3	प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	प्लीडर की फीस	
4रूपये पर प्लीडर की फीस	साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय	
5	साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय	आदेशिका की तामील	
6	कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस	
7	आदेशिका की तामील		
	जोड	जोड	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापूर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- गंगापूर

राजीनामा प्रपत्र

पीठासीन अधिकारी महोदय,
गंगापूर
दिनांक 3/6/15
बनाम गिरजि जाधव
अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act

उक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री गंगापूर द्वारा गंगापूर पत्र लिख सिद्धी
में उक्त उन्वान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो
सकती है। हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।
अतः आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

सुलह नं. 343 रकम 0.30 ₹, 342 रकम 0.13 ₹ कुल 0.43 ₹ वाकिम
रकम 0.10 ₹ कुल रकम 0.53 ₹ जो कि गिरजि के खाते में रहेगा
रकम 0.02 ₹ जो कि गिरजि के खाते में रहेगा
रकम 0.02 ₹ जो कि गिरजि के खाते में रहेगा

प्रार्थी से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निरस्तारण करने की कृपा करें।
गंगापूर

गंगापूर पत्र लिख सिद्धी
गंगापूर

प्रतिवादी पक्ष 1. गिरजि
गिरजि पुत्र पुल्पा जाधव
जो कि गंगापूर गंगापूर
4.

जयगुप्त के हस्ताक्षर गंगापूर प्रधानाध्यापक
कोय बालिका उच्च विद्यालय (प्रतिवादी पक्ष) नाम गंगापूर
प्रधानाध्यापक गंगापूर

प्रार्थी/वादी गंगापूर एवं अप्रार्थी/ प्रतिवादी गिरजि
द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामों की इबारत को सुन व समझ कर सही होना
निश्चित है। अतः राजीनामा हस्तस्वीकृत पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल गिराए रहे।

(हो सदस्य) सतीश कुमार ब्रामा मि. (हो सदस्य) सतीश कुमार ब्रामा मि. (हो सदस्य) सतीश कुमार ब्रामा मि. (हो सदस्य) सतीश कुमार ब्रामा मि.
सदस्य
लोक अदालत
गंगापूर सिटी
53
(मदनदेव यादव)
पीठासीन अधिकारी
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगापूर सिटी

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

मां.दे
3-6-2015

आवेदन पत्र

कैम्प कोर्ट का स्थान :- श्रीहरकान्तशामगाँव

सं. मुकदमा :- 177/2013

बान मुकदमा :- दुरगिमा कान्त गिरजि कांठ

बनाम

विषय :- लोक अदालत की भावना से प्रकरण में राजीनामा करने हेतु।

विनम्र निवेदन है, कि प्रार्थी उक्त प्रकरण में वादी/प्रार्थी/
प्रतिवादी/प्रत्यर्थी/रेस्पोंडेन्ट/ है तथा उक्त प्रकरण में लोक
अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा/समझौता करना चाहता है।

अतः कृपया उक्त प्रकरण अनुसारतः निस्तारित करने की कृपा करें।

प्रार्थी

श्रीहरकान्तशामगाँव

3/6/15

श्री दुरगिमा

दुरगिमा पति गिरजि कांठ

जानि - श्रीहरकान्त

श्री जे.ए.ए.